न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— विनोद कुमार मल्हौत्रा, (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42/2023	19.09.2023	17.11.2025

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

श्री आबिद हुसैन पिता श्री फकरूदीन मुसलमान निवासी मौमीन मौहल्ला, बेगूं पुलिस थाना बेगूं जिला चित्तौडगढ

::— कार्यवाही अंतर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975. ::—

उपस्थितिः— 1. अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेराकार
2. श्री आजाद हुसैन, अधिवक्ता गैरसायल

—::: निर्णय:::—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल मौमीन मोहल्ला, बेगूं पुलिस थाना बेगूं जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों—दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह हत्या मारपीट जमीन संबंधी अपराध करने का आदी है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975, धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन—समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य बंद की गई।

गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके प्रकरण पर सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन करने पर बहस प्रकरण उभयपक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति हत्या, मारपीट, जमीन संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्व गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्व कुल 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं:–

1–प्र.सं. 37/15 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट
2– प्र.सं. 239/15 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट
3– प्र.सं. 396/15 धारा 376घ, 344,120बी भा.द.स.
4– प्र.सं. 280/16 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट

गैरसायल उक्त दर्ज 4 प्रकरणों में से 03 में सजा हो चुकी है। गैरसायल के विरूद्व दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरूद्व कोई प्रकरण आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल के विरूद्व दर्ज उक्त प्रकरण 03 आर.पी.जी.ओ. के होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वयं जुर्म स्वीकार किया। वर्ष 2017 के बाद उसके विरूद्व किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए है। गैरसायल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बडी मेहनत से शन्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नही की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसालय के विरूद्ध वर्ष 2016 तक कुल 04 प्रकरण दर्ज हुए दर्ज हुए हैं जिसमे से 03 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए है तीनों ही प्रकरण में गैरसायल को सजा हुई है। गैरसायल के विरूद्ध तीनों प्रकरणों 2016 तक दर्ज होकर तीनों ही प्रकरणें का निस्तारण हो चुका है।

गैरसायल के विरूद्ध उक्त दर्ज सभी 04 प्रकरण वर्ष 2015–2016 तक दर्ज होकर 01 प्रकरण का जैर ट्रायल होना बताया गया। लंबित 01 प्रकरण के संबंध में गैरसायल को सजा होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष2017 के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही होना प्रतिवेदित है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड ब के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नही पाया गया।

अतः गैरसायल को भाविष्य में इस प्रकार कृत्य नहीं करने की चेतावानी देते हुए, उसके परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घाषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तागासा खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
अति.जिला कलक्टर एवं
अति.जिला मजिस्ट्रेट
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़